

PUBLIC NOTICE

1. Govt. of India, Ministry of Defence vide letter No. 11013/2/2016/D(Lands), dated 10-03-2017 has formulated a policy for the following:-

(iii) Extension of expired/expiring Cantonment Code leases of 1899 & 1912 and Cantonment Land Administration Rules, 1925 & 1937.

(iv) Renewal of Cantonment Code and CLAR leases whose full term has not expired.


2. As per this policy this office has found there are 02 expired leases whose 1st and 2nd term has been expired but sanction for renewal could not be given/processed due to breach of certain conditions of leases under the management of Cantonment Board Jutogh held under Schedule VIII, of CLAR 1937 which are as under:-

Sr. No.	Sy. No.	Description	Lessee
1.	74/2/2	Mule Shed	Sh. Bhagat Ram, Jagan Nath, Banarsi Dass and Parkash Chand S/o late Sh. Amin Chand.
2.	74/2/3	Dwelling House and Poultry Farm	Sh. Parkash Singh, Prithipal Singh, S/o late Sh. Milkhi Ram and Smt. Khemi Alice, Ramdevi Widow Sh. Milkhi Ram.

3. CEO Jutogh has initiated necessary action as per the instructions contained in the policy letter for renewal of these leases/condonation of breaches, wherever possible.

4. All the lessees are advised to visit the office of undersigned on any working day between **1100 hrs to 1300 hrs** and see the policy & related documents and complete necessary formalities so that further action can be taken.

5. Please note that if no response is received from the concerned lessees within **thirty days** from the publication of this notice suo moto action will be taken by this office for determination of lease without further reference to the lessee.




(Ms Tanu Jain)
Chief Executive Officer
Cantonment Board Jutogh

सार्वजनिक सूचना

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने पत्रांक 11013/2/2016/डी/(लैंड्स), दिनांक 10-03-2017 के जरिये निम्नलिखित के लिए नीति निर्धारित किया है:-
 - (i) कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, 1925 एवं 1937 एवं वर्ष 1899 एवं 1912 की एक्सपायर्ड/एक्सपायरिंग कैंटोनमेंट कोड लीज का विस्तार ।
 - (ii) कैंटोनमेंट कोड एवं सीएलएआर लीजेज जिनका पूरा टर्म समाप्त नहीं हुआ है, उनका रीन्यूअल ।
2. इस कार्यालय की इस नीति के अनुसार मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद् जतोग के प्रबंधन के तहत 2 लीज समाप्त पाये गये हैं, जिनकी पहली व दूसरी अवधि समाप्त हो गयी है परन्तु कुछ उल्लंघनों के कारण नवीकरण की मंजूरी न दी गयी है। जो कैंटोनमेंट शेड्यूल VIII, CLAR 1937 हैं व निम्नवत है:-

क्रम संख्या	सर्वे संख्या	विवरण	पट्टाधारक
1.	74/2/2	मयुल शेड	श्री भगत राम, जगन्नाथ, बनारसी दास और प्रकाश चन्द पुत्र स्व. श्री अमीन चंद ।
2.	74/2/3	द्वेल्लिंग हाउस और पोल्ट्री फार्म	श्री प्रकाश सिंह, प्रिथीपाल सिंह, पुत्र स्व. श्री मिलखी राम और श्रीमती खेमी ऐलिस रामदेवी विधवा श्री मिलखी राम ।

3. सीईओ ने जहां भी संभव हो, उल्लंघन की माफ़ी/ऐसे लीजों के नवीकरण के लिए समाविष्ट अनुदेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की पहल की है ।
4. समस्त पट्टाधारकों से आग्रह है कि किसी भी कार्यदिवस में 1100 बजे से 1300 बजे के मध्य अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पहुंचे और नीति एवं सम्बन्धित दस्तावेज देखें तथा अनिवार्य औपचारिकताएं पूरा करें ताकि आगामी कार्य किया जा सकें ।
5. स्मरणीय है कि यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर सम्बन्धित पट्टाधारकों से कोई उत्तर नहीं मिलता है तो पट्टाधारकों को कोई सूचना दिए बगैर लीज निर्धारण हेतु इस कार्यालय द्वारा स्वतः ही कार्यवाई की जायेगी ।


(सुश्री तनु जैन)
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जतोग छावनी